Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

इतिहास के निर्माण में अभिलेखों की उपादेयता

दिनेश कुमार
शोधार्थी (इतिहास विभाग)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर, मध्य प्रदेश

सारांश : वर्तमान में प्राचीन अभिलेखों का स्थान अभिलेखागारों ने ले लिया है। अभिलेखागारों की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुये सन् 1950ई0 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काईब्स का गठन किया गया जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों में स्थापित अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार अभिलेखों को सुरक्षित जीवन प्रदान करने वाले अभिलेखागार ऐतिहासिक साक्ष्यों हेतु महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं को माध्यम बनाकर इतिहास का निर्माण किया जाता है।

मुख्य शब्द – इतिहास, अभिलेख, उपादेयता

इतिहास का निर्माण विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से पूर्ण होता है। साक्ष्यों के बिना इतिहास का निर्माण असंभव है। इतिहास निर्माता हेतु प्राप्त विभिन्न साक्ष्यों में से अभिलेख की महती भूमिका है। अभिलेखों के द्वारा सटीक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। क्योंकि इनके द्वारा अतीत में घटित घटनाओं की निष्पक्ष जानकारी प्रदान की जाती है।[1] अतः अभिलेख इतिहास के लिए विश्वसनीय जानकारी का स्त्रोत हैं। अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रस्तर लेख है जिनसे तत्कालीन समय (अतीत) के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक स्थिति का बोध होता है।[2]

अभिलेख तथा इतिहास को एक सिक्के के दो पहलू कहा जा सकता है। चूँकि अतीत के गर्भ में ही वर्तमान का बीज पनपता है इसलिए वर्तमान को परदर्शी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अतीत से सम्बन्धित जानकारी का स्त्रोत निष्पक्ष हो। अभिलेख इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्राचीन विश्व एवं प्राचीन भारत से सम्बन्धित सभ्यताओं से सम्बन्धित हमारा ज्ञान

अपूर्ण है क्योंकि इन सभ्यताओं की सूचना प्रदान करने वाले अभिलेखों की लिपि को पढ़ने में हम असमर्थ हैं।

प्राचीन समय में जब मानव समाज ने कागज का आविष्कार नहीं किया था तब लोगों ने अपने कार्यों, विचारों की अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देने के लिए प्रस्तरों, मिट्टी के प्लेटों, धातु–पत्रियों, ताड़–पत्रों, भोज वृक्ष के छालों, जानवर की खालों पर लेखन कार्य किया। जो वर्तमान में उनके विषय में हमारी जानकारी का स्त्रोत हैं। यदि हम प्राचीन भारत में ऐतिहासिक काल पर दृष्टिपात करें तो हमें सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इन्हीं अभिलेखों को माध्यम बनाकर हम अशोक के समय घटित विभिन्न घटनाओं जैसे कलिंग युद्ध, युद्ध पश्चात् नीति व ह्रदय परिवर्तन, प्रशासन को पारदर्शी बनाने हेतु किये गये उसके सुधार, धम्म नीति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कलिंग के शासक खाखेल का हाथीगुम्फा अभिलेख, रूद्रदामन से सम्बन्धित जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कन्नौज के शासक सम्राट हर्षवर्धन द्वारा जानकारी मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल तथा बंगाल के सेनवंशी शासकों से सम्बन्धित शिलालेखों से इनके विषय में विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है।3 इन अभिलेखों से शासकों दान–दाता, दान ग्रहीता, तिथिक्रम, राज्य सीमा व राज्य पदाधिकारियों के विषय में जानकारी मिलती है।

अशोक के पश्चात् होने वाले अभिलेखों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं– प्रथम सरकारी अभिलेख, द्वितीय–निजी अभिलेख। अधिकांश सरकारी अभिलेख राज–दरबार से सम्बन्धित राजा के कृपापात्र कवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी अभिलेख भूमि–अनुदान पत्र के रूप में मिलते हैं। प्रशस्तियों में जहाँ समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजयों तथा नीतियों का विवरण प्राप्त होता है वहीं राजा भोज से सम्बन्धित ग्वालियर प्रशस्ति से उसके कार्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। भूमि अनुदान पत्रों का अंकन तांबे पर प्राप्त होता है जिनसे दान–कर्ता, दान, ग्रहिता, दान दिए जाने वाले समारोह का अवसर, भूमि खण्ड की सीमाओं तथा अवधि की सूचना प्राप्त होती है। परन्तु इन प्रशस्तियों तथा अनुदान पत्रों के रचयिता या लेखक राजदरबार से सम्बन्धित कवि अथवा विद्वान होते थे जिन्हें शासक का आश्रय प्राप्त रहता था फलतः वे अपने आश्रयदाता के सम्बन्ध में अतिश्योक्ति वर्णन करते थे। जिससे इनके द्वारा प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी संदिग्ध हो जाती है। बावजूद इसके हमें इनसे ढेर सरारी जानकारी प्राप्त होती है। पूर्व मध्य काल में बहुतायत संख्या में प्राप्त होने वाले

भूमि अनुदान पत्रों से हमें यह सूचना प्राप्त होती है कि उस समय तक सामंती अर्थव्यवस्था पूर्णतया अपनी जड़े जमा चुकी थी। इसी प्रकार शिलालेख एवं स्तम्भलेख जिन स्थानों से प्राप्त होते हैं उससे शासक के साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

निजी अभिलेख अधिकतर देवालयों पर प्रतिमाओं पर अंकित हैं। इन पर अंकित तिथियों के आधार पर देवालय तथा प्रतिमा निर्माण के काल का ज्ञान होता है।[4] उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से बड़ी संख्या में प्राप्त भोजपत्रों से इतिहास के लिये उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।[5]

प्राचीन समय के शासक अपने कृतित्व को चिरंजीवी रखना चाहते थे इसलिए वे अभिलेखों के महत्व से परिचित थे। परिणामतः अपने यश को सँजोए रखने के लिए उन्होंने अभिलेखों, शिलालेखों का उत्कीर्णन करवाया। दक्षिण भारत से सम्बन्धित संगम साहित्य को ताड़ के पत्रों पर उत्कीर्ण किया गया। सिन्धु घाटी में मुहरों पर लिपि का अंकन किया गया[6] जिससे यह विदित होता है कि भारत में आरम्भ से ही अभिलेखीय उत्कीर्णन होता था।

कालांतर में भारत में आने वाले विदेशी शासकों ने भी अपने–अपने अभिलेख जारी किये। इसी प्रकार मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों ने प्रशासनिक क्रियाओं कोर्ट के फैसलों, आदेशों, महत्वपूर्ण घटनाओं, राज परिवार से सम्बन्धित सदस्यों के जन्म, मृत्यु विवाह से सम्बन्धित दस्तावेजों, नियुक्तियाँ, पदोन्नति, युद्ध की घोषणाएँ, भाँति, समझौते, सीमांकन, राज–यात्राएँ आदि से सम्बन्धित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागारों की स्थापना की।[7]

भारत की अंग्रेज सरकार को पेपर ऑफ गवर्नमेण्ट के नाम से भी संबोधित किया जाता था।[8] क्योंकि अंग्रेजों ने अपने समस्त सरकारी व्यवहार को लिखित स्थित में संरक्षित किया जो कालांतर में भारतीय इतिहास लेखन हेतु सामग्री बना।

अभिलेखों से प्राप्त सूचनाएँ तथा अभिलेखागार से संरक्षित दस्तावेजों से प्राप्त होने वाली सूचनाएं इतिहास के लिए मुख्य स्त्रोत का कार्य करती हैं। क्योंकि विभिन्न विद्वानों जैसे भण्डारकर, विन्सेट, स्मिथ, रॉबर्ट, स्वेल, हेनरी, डॉडवेल, जॉन बुक इत्यादि ने इन्हीं को माध्यम बनाकर भारतीय इतिहास का लेखन किया।[9] ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कर्मचारी Rober Orme ने विभिन्न दस्तावेजों एवं पाण्डुलिपियों को आधार बनाकर इतिहास लेखन का कार्य किया।[10]

भारत में अंग्रेज सरकार ने दस्तावेजों को संरक्षित कर रखने के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न अभिलेखागारों की स्थापना[11] करवायी। जिनमें इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेण्ट

कोलकाता, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली[12], मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस उल्लेखनीय है। अंग्रेजों ने सूचना संप्रेषण एवं अभिलेखीय संरक्षण के हेतु 1919 में इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन का भी गठन किया।[13]

अभिलेखागारों की स्थापना सर्वप्रथम फ्रांस में हुई। तत्पश्चात् फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद अन्य यूरोपीय देशों नीदरलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन एवं इटली में भी पाण्डुलिपि को संरक्षित करने के उद्देश्य से अभिलेखागारेां की स्थापना हुई।[14] प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात पूँजीवादी एवं मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक देशों ने अपनी विचारधारा का संरक्षण व प्रसार का माध्यम अभिलेखागारों को बनाया।[15]

अभिलेख समय बीतने के साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी हो जाते हैं क्योंकि प्रारम्भ में इनकी प्रशासनिक प्रासंगिकता होती है परन्तु समय बीतने के साथ–साथ ज्यों–ज्यों इनकी प्रशासनिक प्रासंगिकता कम होती जाती है त्यों–त्यों इनकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता इतिहास के स्त्रोत के रूप में बढ़ने लगती है।[16] अभिलेख इतिहास भी जीवंत सामग्री के रूप में प्रस्तुत होते हैं जिनको आधार बनाकर इतिहास की सूचनाओं को पारदर्शी तथा स्थिर स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।[17]

अंग्रेजों के समय अभिलेखागारों में संरक्षित दस्तावेजों से भी इतिहास निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। क्योंकि इन्हीं से अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीति, भारत का अनु–औद्योगीकरण, भारत के स्थानीय उद्योगों का नष्ट होना, जंगलों का विनाश, नकदी फसलों का उत्पादन, अकालों की बारम्बारता, गरीबी, भूखमरी, टैक्स का भारी बोझ, किसानों की दयनीय स्थिति इत्यादि के विषय में सूचना प्राप्त होती है।[18]

अभिलेख अतीत के विकसित होने वाले मानवीय समाज का दर्पण होते हैं। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें अतीत की विभिन्न प्रथाओं जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवाओं की स्थिति, बाल विवाह, बहु–विवाह, महिला उत्पीड़न, खान–पान, मनोरंजन, वेशभूषा के विषय में सूचना प्राप्त होती है। पुनश्च, इन प्रथाओं के सकारात्मक, नकारात्मक सामाजिक प्रभावों का भी ज्ञान प्राप्त होता है।

अंततः वर्तमान में प्राचीन अभिलेखों का स्थान अभिलेखागारों ने ले लिया है। अभिलेखागारों की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुये सन् 1950ई0 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काईब्स का गठन किया गया जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों में स्थापित अभिलेखागारों

के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।[19] इस प्रकार अभिलेखों को सुरक्षित जीवन प्रदान करने वाले अभिलेखागार ऐतिहासिक साक्ष्यों हेतु महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं को माध्यम बनाकर इतिहास का निर्माण किया जाता है।

सन्दर्भ

1. अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेख सप्ताह पर प्रकाशित, पटना, 1979, पृ0 1
2. वही
3. पी0डी0 महाजन, प्राचीन भारत का इतिहास, नई दिल्ली, 1984, पृ0 10
4. डी0एन0 झा एवं के0एम0 श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, नई दिल्ली, 1986, पृ0 15
5. बी0डी0 महाजन, पूर्वोद्धत, पृ0 10
6. बी0डी0 महाजन, पूर्वोद्धत, पृ0 12
7. मैनुअल ऑफ आर्काइवल सिस्टमस एण्ड द वर्ल्ड ऑफ आकाईव (संपादक) डॉ0 एम0 सुंदरराज चेन्नई, 1999, पृ0 2
8. स्मारिका, आई0एच0आर0सी0 बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना, 2013, पृ0 1
9. मैनुअल ऑफ आर्काइवल सिस्टमस एण्ड द वर्ल्ड ऑफ आर्काइव, पूर्वाद्धत, पृ0 11
10. इंटरनेट विकिपीडिया, Robert Orme
11. सव्यसाची भट्टाचार्य, व्हाट आर द आर्काइव फॉर, अभिलेख, बिहार, पटना, 2011, पृ0 3
12. मैनुअल ऑफ आर्काइवल सिस्टमस एण्ड द वर्ल्ड ऑफ आर्काइव, पूर्वाद्धत, पृ0 2
13. प्रोसीडिंग्स ऑफ द 61 सेशन वॉल्यूम LXI इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्डर्स कमिटी, पटना, 2013, पृ0 303
14. मैनुअल ऑफ आर्काइवल सिस्टमस एण्ड द वर्ल्ड ऑफ आर्काइव, पूर्वाद्धत, पृ0 2
15. वही, पृ0 3
16. वही, पृ0 11–13
17. अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख सप्ताह पर प्रकाशित, पूर्वोद्धत, पृ0 4
18. मैनुअल ऑफ आर्काइवल सिस्टमस एण्ड द वर्ल्ड ऑफ आर्काइव, पूर्वाद्धत, पृ0 9
19. वही, पृ0 2ण